

परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-1, 3 एवं 4 के अन्तर्गत निर्मित/विकसित विशिष्ट श्रेणी भवन/भूखण्डों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

सम्पत्तियों का विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	योजना सं०	सम्पत्ति श्रेणी	सम्पत्तियों की संख्या	अनुमानित मूल्य (लाख में)	पंजीकरण धनराशि	पंजीकरण धनराशि (अ०जा०, अज०जा०, पिछड़ा वर्ग हेतु)
1	योजना सं०-3 एवं 4 भवन	विशिष्ट श्रेणी (30/40)	55	9.15	46000.00	23000.00
2	यो०सं०-1 भूखण्ड	25.11 वर्ग मी०	3	4.20	21000.00	10500.00
3	यो०सं०-3 एवं 4 भूखण्ड	40.74-80.00 वर्ग मी०	104	5.94	30000.00	15000.00

आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, आरक्षित वर्ग एवं हरिजेण्टल आरक्षण का प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। शासन/परिषद नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा। परिषद की पंजीकरण विनियमावली के अनुसार पंजीकरण धनराशि आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) के आवेदकों को 50 प्रतिशत देय होगी, शेष धनराशि प्रथम किश्त के साथ देय होगी। कार्नर की सम्पत्ति पर भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क देय होगा। उपरोक्त सम्पत्तियों हेतु इच्छुक आवेदक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना लखनऊ से आवेदन पत्र प्राप्त कर दिनांक 05.09.2013 तक जमा कर सकते हैं। आवंटन की तिथि बाद में सूचित की जाएगी।



डायल करें

0522-2236803

1800-180-5333 (टेल फ्री)

मोबाइल : 8795810226

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

(जन सुविधा केन्द्र)

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5 बजे तक उपलब्ध है।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सेवोत्तम अनुवर्ती

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ,

Website: <http://www.upavp.com>; E-mail: upavp@Sancharnet.in

